सूखे व बाढ़ दोनों की संभावना बढ़ाता रेत खनन

भारत डोगरा

दिल्ली जैसा शहरी क्षेत्र हो या बुंदेलखण्ड का ग्रामीण क्षेत्र, जगह-जगह बड़े पैमाने पर नदी किनारे की रेत-बालू के ऐसे खनन के समाचार मिल रहे हैं जिनसे भविष्य में इन क्षेत्रों का जल संकट और विकट हो सकता है। इनमें से कुछ स्थानों पर तो खनन पूरी तरह अवैध ढंग से होता है। अन्य स्थानों पर थोड़े-बहुत खनन की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है और फिर उसकी आड़ में बहुत-सा अवैध खनन भी कर लिया जाता है। जो खनन वास्तव में होता है वह प्रायः अनुमति से कहीं अधिक होता है।

नदियों के आसपास की रेत-बालू का जल संरक्षण में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। नदी किनारे की रेत में जल संजोने की अधिक क्षमता होती है। इस कारण वर्षा के समय जो अधिक जल आता है उसे भूजल के रूप में समेटा जा सकता है। बाद में सूखे महीनों में यह भूजल तरह-तरह के उपयोगी कार्यों में काम आता है व नमी तथा हरियाली बनाए रखने में भी इसका योगदान होता है। इसके बल पर गर्मी के दिनों में कुओं का जल-स्तर ठीक बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

दूसरी ओर, जब नदी किनारे की अधिकतर रेत-बालू को वैध-अवैध खनन द्वारा हटा दिया जाता है तो वर्षा व बाढ़ के समय पानी को संजोकर भूमि के नीचे पहुंचाने की नदी किनारे की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं जो ट्रक रेत का खनन करने के लिए आबादी के क्षेत्रों की ओर से आते हैं उनके भारी टायरों व वज़न से रेतीले रास्ते में मार्ग बन जाते हैं जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि अधिक वर्षा के समय अतिरिक्त पानी आबाद स्थानों की ओर बढ़ेगा। इस तरह बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।

इसके अलावा, जब रेत-बालू बहुत कम हो जाने के कारण नदियों के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा के समय अतिरिक्त जल को भूजल के रूप में संजोने की क्षमता बहुत कम हो जाती है तो वर्षा के बाद के महीनों में भूजल की यह कमी बहुत हानिकारक साबित होती है। कुंओं का जलस्तर नीचे आने लगता है। आसपास के बड़े क्षेत्र में हैंडपंप सूखने लगते हैं।

अतः यह ज़रूरी है कि नदियों के आसपास के क्षेत्र में रेत-बालू के पर्यावरणीय महत्त्व को पहचाना जाए व इसकी जल संरक्षण सम्बंधी भूमिका के लिए जितनी रेत-बालू नदी किनारे पर ज़रूरी है उतनी वहां बनी रहे। थोड़ी बहुत रेत हटाने में क्षति नहीं है पर जब यह ट्रकों व मशीनीकृत तरीकों से बहुत ज़्यादा मात्रा में हटा दी जाती है तो स्थिति संकटग्रस्त हो जाती है।

समस्या का एक समाधान यह है कि मज़दूरों व खच्चरों द्वारा ढुलाई, जो छोटे स्तर पर रेत-बालू लेकर जाते हैं, उस तरह की छोटे स्तर की निकासी का कार्य तो चलता रहे परंतु बड़े पैमाने के रेत में खनन पर रोक लगाई जाए। विशेषकर जिन क्षेत्रों में पहले ही बहुत क्षति हो चुकी है वहां विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ***(स्रोत फीचर्स)***